न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक–19.11.18

मि.न.– 86 / 2018

सरकार बनाम मिरचू

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 403 / 0.53 किस्म जमीन बारानी पर मिरचू पुत्र सुरजा जाति कंजर निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जपयपुर ने 0.50 है0 पर बाजरा कर नाजायज रूप से ने अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायल को बार– बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर–सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः गैर सायल मिरचू पुत्र सुरजा जाति कंजर निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जपयपुर को वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0403 रकबा 0.53 किस्म जमीन बारानी में से 0.50है0 पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बाजरा को कब्जेराज लिया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2.00 का पचास गुणा 100 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार फसल निलामी ,बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 19.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2018 0.19 के रा० ल०
के पृष्ठ संख्या 77 पर 01
100 रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली